

संख्या.रा.भा. 7(10)/ न.राकास-बैठक/2013-18/107/101

दिनांक :-03/07/2018

कार्यवृत्त / MINUTES

माननीय प्रशासक के सलाहकार व अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यालयन समिति, दमण एवं राजभाषा कार्यालयन समिति, दमण की अध्यक्षता में दिनांक 23/07/2018 को अपराह्ण 04:00 बजे सचिवालय सभागार, मोटी दमण में राजभाषा कार्यालयन समिति, दमण की 33वीं बैठक का आयोजन हुआ।

इसके ऊपरांत कार्यसूची पर मदवार समीक्षा की गई एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

मद सं-1 “क” व “ख” क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में 90% पत्राचार किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना।

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि दमण एवं दीव ‘ख’ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस संघ प्रदेश से दूसरे कार्यालयों के साथ हिन्दी में मूल रूप से 90% पत्राचार किया जाना अपेक्षित है। पिछे भी कुछ कार्यालयों द्वारा इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने चाहिए। उन्होंने सभी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हिन्दी में 90% पत्राचार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करें।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने के बारे में।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के अनुसार जिन कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में अर्थात् केवल द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही जारी किया जाना अपेक्षित है। चर्चा के बाद सभी सदस्य अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम की धारा-(3) के अन्तर्गत आनेवाले सभी कागजातों के बारे में जानकारी दी गई।

लिया गया निर्णय : माननीय अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के अनुसार सूचीबद्ध कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करेंगे।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-3 राजभाषा नियम-5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिये जाने के बारे में।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि दूसरे कार्यालयों व व्यक्तियों से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में न देकर केवल हिन्दी में ही दिया जाना नियमानुसार अपेक्षित है। परंतु कुछ कार्यालय अभी भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में अंग्रेजी में दे रहे हैं।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी कार्यालयों को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देते हुए इस नियम के उल्लंघन से बचने की हिदायत दी।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-5. फाइलों पर हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखे जाने के बारे में।

अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखी जानी चाहिए, जबकि कुछ कार्यालयों द्वारा पिछले छमाह के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयों को इस बारे में समुचित ध्यान देते हुए हिन्दी में टिप्पणी लिखने की प्रतिशतता को बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-6. हिन्दी टंकण प्रशिक्षण : हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण अगस्त, 2018 से शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालयों कर्मचारियों की सूची राजभाषा विभाग में भेज सकते हैं।

लिया गया निर्णय :- अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को यथाशीघ्र नाम भेजने हेतु निर्देश दिये।

(कार्वाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-7. राजभाषा दमणगंगा हेतु हिन्दी लेख एवं रचनाएं भेजने जाने के बारे में : विभागीय राजभाषा पत्रिका राजभाषा दमणगंगा के आगामी अंक हेतु सभी कार्यालयों से स्तरीय लेख एवं रचनाएं आमंत्रित करने हेतु कार्यालयाध्यक्षों को बताया गया।

लिया गया निर्णय :- अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालयों से अनिवार्य रूप से स्तरीय लेख, विभागीय उपलब्धियाँ एवं रचनाएं भेजने हेतु निर्देश दिये।

(कार्वाई : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं-8. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अन्य मुद्रे

बैठक के मदवार बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने के बाद निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई एवं अध्यक्ष महोदय ने निम्न प्रकार निर्णय दिया :-

1. राजभाषा हिन्दी से संबंधित नियम एवं अधिनियम और इसके अंतर्गत प्रावधानों को गंभीरता से लिया जायेगा और अनुपालन किया जायेगा।
2. जो दस्तावेज केवल अंग्रेजी में हैं उनका हिन्दी अनुवाद राजभाषा विभाग की सहायता से कराते हुए उन्हें शत-प्रतिशत द्विभाषी में जारी किया जायेगा।
3. कार्यालयाध्यक्ष तिमाही समाप्ति के 07 दिनों के भीतर त्रैमासिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्वाई : सभी कार्यालय अध्यक्ष / राजभाषा विभाग)

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

इसे डायरी संख्या 403348 दिनांक 03/08/2018 के तहत माननीय प्रशासक के सलाहकार व अध्यक्ष (नराकास), दमण के अनुमोदन पर जारी किया जाता है।


 डॉ अमितभ कौशिक
 सहायक निदेशक (राजभाषा)
 दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं सदस्य,
 राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक महोदय के निजी सचिव, सचिवालय, दमण।
2. प्रशासक के सलाहकार की निजी सहायक, सचिवालय, दमण।
3. सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण।
4. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण।
5. उप निदेशक-(कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614।
6. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित।
7. कार्यालय प्रति / गार्ड फाइल।